

11-05-18

डिक्रीदार पक्ष की ओर से श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित  
मदयून पक्ष की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से  
आदेश की प्रतीक्षा हेतु नियत है।

मदयून पक्ष की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा  
वकालतनामा पेश करने हेतु समय दिये जाने का निवेदन करते हुये आज  
की मदयून पक्ष की उपस्थिति उनके जरिये मान्य किये जाने हेतु एडवोकेट  
मेमो पेश किया, जो शामिल प्रकरण कर वकालतनामा पेश करने हेतु समय  
दिया गया।

अभिलेखागार से वांछित सिविल प्र0क्र0 12-ए/01 कैलाशचंद्र  
बनाम सुरेशचंद्र आदि का मूल अभिलेख प्राप्त, जिसे संलग्न इजरा प्रकरण  
किया गया।

इंटरनेट पर माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्व  
ारा संबंधित प्रथम अपील दिनांक 22.03.13 को निराकृत होना दर्शाया गया  
है। अतः उक्त संबंध में उभयपक्ष को सुना गया।

मदयून पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने माननीय म0प्र0  
उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा संबंधित प्रथम अपील प्र0क्र0  
247/04 में पारित निर्णय दिनांकित 22.03.13 के अनुसार अब इस इजरा  
प्रकरण में स्थगन आदेश अस्तित्व में नहीं रह जाना बताते हुये इस इजरा  
प्रकरण को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया, जबकि डिक्रीदारी  
पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने इस इजरा प्रकरण में माननीय  
म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा प्रथम अपील प्र0क्र0  
247/04 सुरेशचंद्र वेश्य बनाम कैलाशचंद्र जैन व अन्य में पारित आदेश  
दिनांक 29.10.04 के अनुसार कार्यवाही स्थगित होना बताया है एवं उसके  
बाद की जानकारी नहीं होना बताया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये इस  
इजरा प्रकरण सहित उसके साथ संलग्न मूल सिविल प्र0क्र0 12-ए/01  
कैलाशचंद्र बनाम सुरेशचंद्र आदि के मूल अभिलेख का परिशीलन किया  
गया, जिससे पाया जाता है कि इस इजरा प्रकरण में माननीय म0प्र0 उच्च  
न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 247/04  
सुरेशचंद्र बनाम कैलाशचंद्र व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 29.10.04 के  
अनुसार कार्यवाही स्थगित है।

उक्त मूल सिविल प्रकरण के साथ माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा प्रथम अपील नंबर 247/04 सुरेशचंद्र बनाम कैलाशचंद्र व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 22.03.13 की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है, जिसके अवलोकन से पाया जाता है कि माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील नंबर 247/04 का उक्त निर्णय के द्वारा निराकरण हो चुका है। अतः उक्त निर्णय दिनांक 22.03.13 के अनुसार इस इजरा प्रकरण में अब कार्यवाही स्थगित नहीं रह जाना पाया जाता है।

माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा प्रथम अपील नंबर 247/04 में सुरेशचंद्र बनाम कैलाशचंद्र व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 22.03.13 के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा मूल सिविल प्रकरण क्रमांक 12-ए/01 कैलाशचंद्र बनाम सुरेशचंद्र आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 26.08.04 को प्रथम अपील में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा अपास्त किया जा चुका है और आवेदक/वादी पक्ष कैलाशचंद्र जैन की ओर से यह इजरा प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांकित 22.08.04 के निष्पादन हेतु यह इजरा प्रकरण पेश किया गया है जिसे कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है। अतः उक्त समस्त के आलोक में डिक्रीदार पक्ष की ओर से प्रस्तुत यह इजरा आवेदन सह इजरा प्रकरण संधारण योग्य नहीं रह जाने से निरस्त किया जाता है।

इस इजरा प्रकरण के साथ संलग्न मूल सिविल प्रकरण क्रमांक 12-ए/01 को पृथक् कर वापस अभिलेखागार भेजा जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड